

राज्यपाल के अपर सचिव
क्र. एफ-14-3/रा.स./यू.ए.1/05/392

राजभवन भोपाल - 462052
दिनांक 12 मई, 2021

प्रति,

कुलपति,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद् में आचार्य श्रेणी से नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा निम्नांकित आचार्यों को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में आचार्य श्रेणी से सदस्य नाम निर्देशित किया जाता है :-

1. प्रो० एस.पी. गौतम, आचार्य, जीव विज्ञान विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
2. प्रो० जे०एम० केलर आचार्य, भौतिकशास्त्र विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

सही / -
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ० क्रमांक/अका./2020/5989
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

जबलपुर दिनांक 17/5/2021

1. प्रो० एस.पी. गौतम, आचार्य, जीव विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
2. प्रो० जे०एम० केलर आचार्य, भौतिकशास्त्र विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
3. राज्यपाल के अपर सचिव, मध्यप्रदेश राज भवन भोपाल 462 052
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर ।
7. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/महाविद्यालयीन विकास परिषद्, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
8. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
10. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

प्रभारी कुलसचिव,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर